विजया बैंक

बनाम

श्यामल कुमार लोढ

(सिविल अपील सं. 4211 सन 2007)

06 जुलाई, 2010

[जी. एस. सिंघवी और सी. के. प्रसाद, जे. जे.]

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947:

एसः 33 सी (2)-निर्वाह भत्ता-के लिए आवेदन-अधिनियम की धारा 7 के तहत गठित श्रम न्यायालय डिबूगढ के समक्ष धारा 33 सी (2) के तहत दायर निलंबन/निर्वाह भत्ते के लिए आवेदन -नियोक्ता अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर स्थित- श्रम न्यायालय डिबूगढ का विवाद का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र-माना गया: श्रम न्यायालय डिबूगढ को उपयुक्त सरकार यानि केन्द्र सरकार द्वारा धारा 33 सी (2) के तहत विवादो के निपटारे के लिए निर्दिष्ट नही किया गया है, हालांकि अधिनियम, 1946 की धारा 10 ए (2) के मद्देनजर विवाद पर विचार किया जा सकता है। - औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 10 ए (2)

एस. 33 सी (2)-अभिव्यक्ति श्रम न्यायालय '- इसमें किसी भी राज्य में लागू औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान से संबंधित किसी

भी कानून के तहत गठित न्यायालय शामिल है। क्षेत्राधिकारः आवेदन का गलत लेबल और गलत प्रावधान का उल्लेख न तो अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है और न ही न्यायालय को उसके अधिकार क्षेत्र से वंचित करता है।

विधियों की व्याख्याः खंड के साथ जोड़े गये स्पष्टीकरण का उद्देश्य आयोजित खंड में निहित शब्दों के अर्थ की व्याख्या करना है।- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947-s.33C (2)

सार्थक निर्माण-विधायिका कभी भी अपनी शब्दों को बर्बाद नहीं करता है या व्यर्थ में कुछ भी कहती है-सम्मोहन कारणो को छोडकर कानून के शब्दो को अस्वीकार करने वाले शब्दो का सहारा नहीं लिया जा सकता है।

इन अपीलो में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या औघोगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 7 के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित श्रम न्यायालय, डिब्रूगढ के पास विपक्षी- अपीलकर्ता बैंक के कर्मचारी द्वारा इस अधिनियम की धारा 33 के तहत निलंबन/निर्वाह भत्ते के अवार्ड के लिए दायर आवेदन पर विचार करने का श्रवणाधिकार है ।

न्यायाल्य ने याचिका को खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया

1.1 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 33 सी (2) के पढने से यह स्पष्ट है कि श्रमिक को देय धन का निर्णय ऐसे श्रम न्यायालय द्वारा "जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।"

द्वारा किया जाना चाहिए। धारा 33सी (2) के स्पष्टीकरण किसी भी राज्य मे लागू औद्योगिक विवादो की जांच और निपटान से संबंधित किसी भी कानून के तहत गठित किसी भी न्यायालय को श्रम न्यायालय के रूप में शामिल करने का प्रावधान है। स्पष्टीकरण सम्मिलित करने के पीछे अंतर्निहित उद्देश्य विभिन्न राज्य अधिनियमो द्वारा श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारियो की नियुक्ति के लिए निर्धारित अलग-अलग योग्यता प्रतीत होता है। विधायिका द्वारा स्पष्टीकरण को शामिल करते हुए यह अंतर्निहित वस्तु है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम और राज्य अधिनियम द्वारा गठित विभिन्न प्रकार के श्रम न्यायालय है और यहां यह प्रश्न उठता है कि क्या विभिन्न राज्य या केन्द्र विधि द्वारा गठित श्रम न्यायालय अधिनियम की धारा 33सी (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत दावा को सुन सकती है।[पैरा 12] [580-एफ-एच; 581-ए-बी]

1.2. किसी धारा में निहित शब्दो के अर्थ की व्याख्या करने के लिए साधारणतया धारा के साथ स्पष्टीकरण जोडा जाता है। अधिनियम की धारा 33 सी से जुडे स्पष्टीकरण के दृष्टिकोण से किसी भी राज्य में लागू किसी भी विधि के अन्तर्गत गठित कोई भी न्यायालय, जो औद्योगिक विवादो के अनुसंधान और समझौता से संबंधित है।

यह यथोचित सरकार की इच्छा का विस्तार करता है। यह विशेषतः ना केवल औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 द्वारा गठित श्रम

न्यायालय को, बल्कि किसी भी राज्य में लागू औद्योगिक विवादो की जांच और निपटान से संबंधित किसी अन्य कानून के तहत गठित ऐसे अन्य न्यायालय को भी निर्दिष्ट कर सकता है।[पैरा 13] [581-बी-ई]

1.3 श्रम न्यायालय के धन के दावे के विनिर्णयन की शक्ति "जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।" से तय होती है। विधायिका द्वारा प्रयुक्त शब्द एक अर्थ रखता है, इसलिए उसके द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक शब्द को अर्थ देने का प्रयास करना होता है। किसी विधि के शब्दो को दरकिनार कर निर्माण विधि अभिप्राय का एक ठोस सिद्धांत नहीं है। यदि भाषा पर यथोचित अनुमति दी जाती है, तो न्यायालय ऐसे अभिप्राय से बचता है, जो कानून की किसी अभिव्यक्ति या भाग को किसी भी अर्थ या अनुप्रयोग से रहित बनाता है। विधायिका कभी भी अपने शब्दो को अस्वीकार करने वाले अभिप्राय की मदद, बाध्यकारी कारणो को छोडकर नहीं लिया जा सकता है। ऐसा कोई कारण, जो बाध्यकारी कारण से बहुत कम हो, जो अभिप्राय को अपनाने के लिए, जो अधिनियम की धारा 33 ग (2) में प्रयुक्त शब्द "जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।"को निरर्थक बना देता है, मौजूद नही है। इन शब्दो को पूर्ण अर्थ देना होगा। ये शब्द बिना किसी अनिश्चित शर्तो के यह संकेत देते है कि उपयुक्त सरकार द्वारा यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि एक विशेष अदालत के पास अधिनियम की धारा 33सी (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत धन दावे के निर्णय का क्षेत्राधिकार है और

केवल उस अदालत के पास ही क्षेत्राधिकार होगा। उपयुक्त सरकार अपने विवेक से सामान्य या विशेष आदेश द्वारा न्यायालय या न्यायालयो को निर्दिष्ट कर सकती है। वर्तमान मामले में यह प्रदर्शित करने के लिए कुछ नही है कि श्रम न्यायालय डिब्रूगढ को अधिनियम की धारा 33सी (2) के तहत विवादो के निपटारे के लिए उपयुक्त सरकार, यानि केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो।[पैरा 14] [581-एफ-एच; 582-ए-सी

त्रियोगी नाथ और अन्य बनाम भारतीय लोहा और इस्पात Co.Ltd और अन्य ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 205 में यह निश्चन किया गया कि 2.औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 10 ए (2) के सामान्य पठन से स्पष्ट है कि श्रम न्यायालय का गठन औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत उस स्थानीय सीमा के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत किया जाता है, जिसके पास निर्वाह भत्ते से संबंधित किसी भी विवाद के विनिर्णयन करने का क्षेत्राधिकार हो। वर्तमान मामले में विवाद निर्वाह भत्ते के सम्बन्ध में है। यहां श्रम न्यायालय, जहां श्रमिक द्वारा कार्यवाही की गई है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 द्वारा गठित है और इसके अलावा अपीलकर्ता बैंक उसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमा के भीतर स्थित है। हालाकि श्रमिक ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 के तहत आवेदन दायर करने का विकल्प चुना था, लेकिन अन्यथा कही क्षेत्राधिकार होने पर श्रम न्यायालय को क्षेत्राधिकार का खण्डन नही करेगा। आवेदन पर गलत लेबल और गलत प्रावधान का

उल्लेख न तो क्षेत्राधिकार प्रदान करता है और न ही क्षेत्राधिकार का खण्डन करता है। चाही गई राहत यदि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र मे आती है तो उसे उसके गलत लेबल या प्रावधान के गलत उल्लेख के आधार पर खारिज नही किया जा सकता है। वर्तमान मामले में श्रम न्यायालय डिब्रूगढ, उसके समक्ष कर्मचारी द्वारा रखे विवाद को तय करने के लिए सभी आवश्यकताओ का पूरा करता है।[पैरा 16] [583- एफ-एच; 584-ए-बी]

केस विधि संदर्भः

एआईआर 1968 एस.सी20 निश्चय किया पैरा 8,और 14

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं 4211 सन 2007

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के रिट अपील संख्या 381 के वर्ष 2001 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 10.01.2007

अपीलार्थी की ओर से जगत अरोड़ा, राजीव नंदा, रजत अरोड़ा। प्रतिवादी की ओर से ए. के. पांडा, सोमनाथ मुखर्जी।

न्यायालय का निर्णय **सी. के. प्रसाद जे.** इसके द्वारा पारित किया गया

1. यह अपील, अनुमति के बाद, रिट अपील संख्या 381 सन 2001 और रिट अपील संख्या 11 सन् 2002 में गुवाहाटी उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच के 10 जनवरी 2007 के एक सामान्य फैसले से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत इसने सिविल नियम संख्या 3735 सन 1995 एवं सिविल

नियम संख्या 2771 सन 1997 में क्रमशः दिनांक 22 अगस्त 2001 व 24 अगस्त 2001 को पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द किया गया।

2. तथ्य संक्षिप्त रूप में इस प्रकार है।

श्यामल कुमार लोढ, प्रतिवादी, अपीलार्थी विजया बैंक का कर्मचारी है। यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। कर्मचारी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 के तहत राज्य सरकार द्वारा गठित श्रम न्यायालय डिब्रूगढ के समक्ष अधिनियम की धारा 33सी (2) के अन्तर्गत निलम्बन/निर्वाह भत्ते की गणना के लिए आवेदन दायर किया।

3. इसमे इस तथ्य पर कोई विवाद नही है कि कर्मचारी से संबंधित उपर्युक्त सरकार केन्द्र सरकार है तथा कर्मचारी द्वारा राज्य सरकार द्वारा गठित श्रम न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किया है। यह भी विवादित विषय नही है कि जिस श्रम न्यायालय के समक्ष कर्मचारी ने आवेदन दायर किया है, उसे केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नही किया गया है। दायर किये गये आवेदन पर श्रम न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता/नियोक्ता को नोटिस जारी किया गया। अपीलकर्ता श्रम न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और इस विवाद का विनिर्णय करने के क्षेत्राधिकार पर इस आधार पर प्रश्न उठाया कि उक्त न्यायालय को केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम,

1947 के धारा 33 सी (2) के अन्तर्गत निर्दिष्ट नही करने से उक्त आवेदन को सुनने का क्षेत्राधिकार नही है।

4. श्रम न्यायालय ने 19 अगस्त, 1995 के अपने आदेश द्वारा उस आपत्ति पर फैसला सुनाया और कहा कि विवाद पर निर्णयन का उसका अधिकार समाप्त नही हुआ है। उपयुक्त आदेश दिनांक 19.08.1995 से व्यथित नियोक्ता ने रिट आवेदन अधिमानित किया, जिसे 3735 सन् 1995 के रूप में पंजीकृत किया गया। गोवाहाटी उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय दिनांक 22.08.1995 द्वारा सिविल रूल संख्या 3735 सन् 1995 में अपना तर्क यथावत रखते हुए और उक्त आदेश के दौरान तय किया कि

> " जैसा कि श्रम न्यायालय डिब्रूगढ को उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट नही किया गया है, इसलिए उनके पास दोनो मामलो मे याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करने का कोई क्षेत्राधिकार नही है।"

5. श्रम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, कर्मचारी ने निर्वाह भत्ता और श्रम में वृद्धि की मांग करते हएु आवेदन दायर किया और श्रम न्यायालय ने 17.10.1996 के आदेश द्वारा नियोक्ता को अदालत में आवर्ती निर्वाह भत्ता जमा कराने के निर्देश दिये। कर्मचारी ने 17.10.1996 के उपरोक्त आदेश के खिलाफ रिट याचिका भी दायर की, जिसे

सिविल रूल 2771 सन 1996 के रूप में पजीकृत किया गया था। सिविल रूल 3735 सन 1996 में पारित अपने पूर्व के निर्णय दिनांक 22 अगस्त 1995 का अनुसरण करते हुए, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय दिनांक 24 अगस्त 2001 द्वारा रिट याचिका को स्वीकार कर लिया गया तथा उपरोक्त आदेश दिनांक 17.10.1996 को रद्द कर दिया गया।

6. एकल न्यायाधीश के उपरोक्त आदेशो से व्यथित कर्मचारी ने पृथक-पृथक अपील की, जो रिट अपील नं 381 सन 2001 एवं रिट अपील नं 11 सन् 2002 पर पंजीकृत किया। दोनो अपील को एकसाथ सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच के एक सम्मिलित आदेश दिनांक 10 जनवरी 2007 पारित करते हुए दोनो अपीलो को स्वीकार करते हुए एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दोनो आदेशो को रद्द कर दिया।

ऐसा करते हुए बेंच ने इस तथ्य पर सहमति व्यक्त की कि श्रम न्यायालय डिब्रूगढ को केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नही किया गया है, श्रम न्यायालय के पास कर्मचारी द्वारा दायर याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नही था। हालाकि इस तथ्य पर कि दावा औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम की धारा 10ए (2) के अन्तर्गत निर्वाह भत्ते के अन्तर्गत आता है और बैंक की ब्रांच जहां कर्मचारी कार्यरत था, श्रम न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता के अन्तर्गत आता है, तो दावे के निस्तारण का क्षेत्राधिकार होगा?, का विचारण करते हुए यह देखा गया कि:

" वर्तमान मामले में, श्रम न्यायालय डिब्रूगढ को उक्त उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नही किया गया है और तदनुसार, अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क से सहमत नही है कि श्रम न्यायालय डिब्रूगढ को अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानो के आधार पर दायर आवेदन पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

हालांकि, स्थायी आदेश अधिनियम के प्रावधानो से यह संकेत मिलता है कि 1947 के अधिनियम के तहत गठित एक श्रम न्यायालय, चाहे वह राज्य सरकार द्वारा हो या केंद्र सरकार द्वारा, के पास एक श्रमिक को देय निर्वाह भत्ते के आवेदन पर विचार करने का क्षेत्राधिकार होगा यदि संबंधित श्रमिक द्वारा उस श्रम न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाये। स्थायी आदेश अधिनियम की धारा 10ए (2) के प्रावधान एक विशेष प्रावधान है, जिन्हे मात्र निर्वाह भत्ते के भुगतान से संबंधित दावे पर निर्णय लेने के लिए शामिल किया गया है।

स्थायी आदेश अधिनियम की धारा 10ए (2) के प्रावधान के तहत विशेष प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, यह लगता है कि श्रम न्यायालय डिब्रूगढ, हालाकि राज्य

सरकार द्वारा गठित है, के पास चाहे कर्मचारी राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी हो, के संबंध में निर्वाह भत्ते के दावे पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है। यह धारा 10ए (2) स्थायी आदेश अधिनियम में निर्दिष्ट नहीं है कि 1947 के अधिनियम के तहत गठित श्रम न्यायालय को एक उपयुक्त सरकार द्वारा गठित श्रम न्यायालय होना चाहिए। यह भी निर्धारित नही है कि उपयुक्त सरकार को धारा 10ए (2) स्थायी आदेश अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन को सुनने हेतु श्रम न्यायायल को निर्दिष्ट करना हो।

स्थायी आदेश अधिनियम की धारा 10 ए 2 के तहत श्रम न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार की धारणा के लिए एकमात्र आवश्यकता यह है कि श्रम न्यायालय एक होना चाहिए, जिसे 1947 अधिनियम के तहत गठित किया गया हो और संबंधित प्रतिष्ठान स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर कार्य कर रहा हो।

उपरोक्त प्रावधानों पर ध्यान देने के बाद, हमारा विचार है कि श्रम न्यायालय डिब्रूगढ द्वारा अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत निर्वाह भत्ते के दावे के आवेदन पर विचारण उचित था, हमारा मानना है कि निर्वाह के दावे के संबंध में अपीलकर्ता

द्वारा प्रतिवादी बैंक के विरूद्ध दिए गये भत्ते के मामले में श्रम न्यायालय डिब्रूगढ को क्षेत्राधिकार प्राप्त था। हम तदनुसार घोषणा करते है कि श्रम न्यायालय डिब्रूगढ अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत निर्वाह भत्ते के दावे पर विचार करने में सक्षम था और क्षेत्राधिकार रखता था। इसके विपरीत पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाता है। "

7. नियोक्ता उक्त अपीलो में पारित कॉमन आदेश का विरोध करता है।

8. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जगत अरोड़ा,ने तर्क दिया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 सी (2) में प्रयुक्त स्पष्ट और असंदिग्ध भाषा को ध्यान में रखते हुए, किसी कर्मचारी को देय धन का निर्णय उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट श्रम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। उन्होने तर्क दिया कि यह स्वीकार्य है कि उपयुक्त सरकार केन्द्र सरकार है और उसके द्वारा श्रम न्यायालय, जहां कर्मचारी द्वारा कार्यवाही की है, को निर्दिष्ट नही किया गया है, को निर्णय करने का कोई क्षेत्राधिकार नही है। अपने तर्क के समर्थन मे उन्होने त्रोगी नाथ और अन्य बनाम भारतीय लोहा और इस्पात Co.Ltd और अन्य (AIR)=1968 एस. सी. 205) में पारित निर्णय तथा और उक्त निर्णय के पैराग्राफ संख्या 4 की ओर ध्यान आर्कषित कराया, जो इस प्रकार है:

" धारा 33-सी (2) की भाषा स्वयं यह स्पष्ट करती है कि उपयुक्त सरकार को श्रम न्यायालय को निर्दिष्ट करना होगा जो इस उपधारा के तहत कार्यो का निर्वहन करेगा। यहां "इस संबंध में निर्दिष्ट"अभिव्यक्ति का अर्थ महत्वपूर्ण है। शब्द "इस संबंध में " को पूरा महत्व और प्रभाव दिया जाना चाहिए। वे स्पष्ट रूप से इंगित करते है कि उपयुक्त सरकार द्वारा एक विनिर्देश होना चाहिए कि एक विशेष न्यायालय को धारा 33 सी 2 के तहत कार्य का निर्वहन करना है और इसके बाद, यह एकमात्र अदालत है, जिसके पास उस प्रावधान के तहत क्षेत्राधिकार होगा । तथ्य यह है कि औद्योगिक विवादो के न्यायनिर्णयन के साथ-साथ अधिनियम के तहत अन्य कार्यो के लिए अधिनियम की धारा 7 (1)के तहत एक श्रम न्यायालय का गठन किया गया है। इसका मतलब यह नही है कि वह न्यायालय अधिनियम की धारा 33-सी (2) के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के उद्देश्य से स्वतः न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट हो गया। धारा 33-सी (2) प्रदान करती है कि क्षेत्राधिकार केवल उन श्रम न्यायालयो पर है जो इस संबंध मे निर्दिष्ट है अर्थात ऐसे श्रम न्यायालय जिन्हे किसी श्रमिक के लाभ के

धन मूल्य की गणना हेतु प्रस्तुत दावे के उद्देश्य के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से नामित किया गया हो। "

9. हालाकि कर्मचारी/प्रतिवादी की ओर से हाजिर विद्वान अधिवक्ता श्री ए. के. पांडा ने तर्क दिया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 सी से जुडे स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए श्रम न्यायालय में औद्योगिक विवादो की जांच और निपटान से संबंधित किसी भी राज्य मे लागू किसी भी कानून के तहत गठित कोई भी न्यायालय शामिल है और कर्मचारी ने जिस न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है वह न्यायालय औद्योगिक विवादो की जांच और निपटान के लिए गठित किया गया है, उसके पास कर्मचारी के धन दावे पर विचारण तथा निर्णयन का क्षेत्राधिकार है।

10. इससे पूर्व की प्रतिद्वंद्वी तर्को पर ध्यान दे, यह समीचीन है कि हम विचाराधीन अधिनियम के विधायी इतिहास पर जाये। मूल रूप से अधिनियमित औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 व्यक्तिगत कर्मचारी को अपने मौजूदा अधिकारो को लागू करने के लिए कोई उपाय प्रदान नही करता था और मौजूदा अधिकारो को लागू करने का एकमात्र तरीका औद्योगिक विवाद दायर करना था। विधायिका ने औद्योगिक विवाद (अपीलीय न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1950 (जब से निरस्त किया गया है) में धारा 20 शामिल की, जो एक अवार्ड या निर्णय के तहत औद्योगिक

विवाद अधिनियम 1947 मे अध्याय 5 ए शामिल किया और एक कर्मचारी को उसके नियोक्ता से देय धन की वसूली के लिए धारा 25.1 अधिनियमित किया गया था। उपरोक्त प्रविष्टि केवल अधिनियम के अध्याय 5 ए के तहत बकाया राशि तक सीमित है, लेकिन किसी भी अवार्ड, निपटान या अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान के तहत देय धन या लाभों पर लागू नही होता है। उपरोक्त खामियो को ध्यान में रखते हुए विधायिका ने औद्योगिक विवाद (संशोधन और विविध प्रावधान) अधिनियम, 1956 पारित किया। इस अधिनियम ने औद्योगिक विवाद अपीलीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1980 के साथ साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम के अध्याय 5 ए में धारा 25-1 को निरस्त कर दिया। 1947 और बाद के अधिनियम में धारा 33 सी शामिल की गई। संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा सम्मिलित धारा 33 सी में एक कर्मचारी को उसके नियोक्ता से न केवल अध्याय 5 ए के प्रावधान के तहत, बल्कि निपटान और अवार्ड के तहत भी धन की वसूली का प्रावधान किया गया है। हालाकि इसमे कोई सीमा अवधि निधारित नही की गई थी और इसके अलावा केवल पैसे या लाभ का हकदार कामगार ही आवेदन कर सकता था। इस कमी को दूर करने के उद्देश्य से औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 सी को औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम 1964 की धारा 23 द्वारा पुर्नगठित किया गया अधिनियम की धारा 33 सी, अधिनियम 1964 की धारा 36 के संशोधन से पूर्व इस प्रकार थी

33C. नियोक्ता से देय धन की वसूली (1) कोई पैसा एक समझौता या एक पुरस्कार के तहत या के प्रावधानों के तहत एक नियोक्ता से एक कर्मकार के कारण कहां है 89 [अध्याय 5ए या अध्याय 5बी], कर्मकार खुद या इस संबंध में लिखित रूप में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति, या , कर्मकार की मौत, उसका समनुदेशिती या वारिस के मामले में वसूली के किसी भी अन्य विधा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, की वजह से उसके पास पैसे की वसूली के लिए उपयुक्त सरकार को आवेदन कर सकते हैं और उपयुक्त सरकार संतुष्ट है कोई पैसा तो कारण है कि, यह भू - राजस्व के एक बकाया के रूप में एक ही तरीके से एक ही ठीक करने के लिए आगे बढ़ना होगा जो कलेक्टर को उस राशि के लिए एक प्रमाण पत्र जारी करेगा:

(2) किसी भी कर्मकार नियोक्ता से पैसे के मामले में गणना और किया जा रहा करने में सक्षम है जो किसी भी पैसे या किसी भी लाभ प्राप्त करने के हकदार है जहाँ किसी भी प्रश्न के कारण पैसे की राशि के रूप में या इस तरह के लाभ चाहिए, जिस पर राशि के रूप में उठता है अगर समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए तो सवाल है, इस अधिनियम के तहत किया जा सकता है कि किसी भी नियमों के अधीन, ऐसे श्रम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा सकता है

(3) एक लाभ के पैसे मूल्य की गणना के प्रयोजनों के लिए, श्रम न्यायालय,, एक, आवश्यक हो सकता है के रूप में इस तरह के सबूत लेने के बाद, लेबर कोर्ट में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो आयुक्त और नियुक्त कर सकता है लेबर कोर्ट कमिश्नर और मामले के अन्य परिस्थितियों की रिपोर्ट पर विचार के बाद राशि का निर्धारण करेगा.

11. औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 सी ,1964 के संशोधन अधिनियम 36 की धारा 23 द्वारा संशोधित द्वारा कानून में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जो वर्तमान विवाद में प्रश्नगत नही है। केवल स्पष्टीकरण जो धारा 33 सी में दर्ज है, उनका प्रभाव इस प्रकरण में रहेगा। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33 सी (2) और (5),वर्तमान मे इस प्रकार है

" 33 सी. नियोक्ता से देय धन की वसूली -

(1) XXX XXX XXX

(2) किसी भी कर्मकार नियोक्ता से पैसे के मामले में गणना और किया जा रहा करने में सक्षम है जो किसी भी पैसे या किसी भी लाभ प्राप्त करने के हकदार है जहाँ किसी भी प्रश्न के कारण पैसे की राशि के रूप में या इस तरह के लाभ चाहिएए जिस पर राशि के रूप में उठता है अगर समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए तो सवाल हैए इस अधिनियम के तहत किया जा सकता है कि किसी भी नियमों के अधीनए

ऐसे श्रम न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जा सकता हैए गणना की जानी

(3) XXXXXXXXXX

(4) XXXXXXXXXX

(5) एक ही नियोक्ता के तहत कार्यरत कामगार उसके पास से कोई पैसा या पैसे के मामले में गणना करने के योग्य कोई लाभ प्राप्त करने के हकदार होते हैं तो फिर, के रूप में इस तरह के नियम के अधीन इस निमित्त बनाया जा सकता है, वसूली के लिए एक भी आवेदन राशि के कारण की ओर से या इस तरह के कामगार के किसी भी संख्या के संबंध में किया जा सकता है.

स्पष्टीकरण: इस खंड में "श्रम न्यायालय," किसी भी न्यायालय जांच और किसी भी राज्य में बल में औद्योगिक विवादों के निपटान के संबंध में किसी भी कानून के तहत गठित शामिल हैं.

12. धारा 33सी (2) के एक सादे अध्ययन से यह स्पष्ट है कि एक कर्मचारी को देय धन का निर्णय ऐसे श्रम न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए जैसा कि उपर्युक्त सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 7 अन्य बातो के साथ साथ औद्योगिक विवादो के निपटारे के लिए एक या अधिक श्रम न्यायालयो के गठन के लिए उपयुक्त सरकार को शक्ति प्रदान करती है। यह श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता भी

निर्धारित करता है। अधिनियम की धारा 33 सी से जुडा स्पष्टीकरण किसी भी राज्य में लागू औद्योगिक विवादो की जांच और निपटान से संबंधित किसी भी कानून के तहत गठित किसी भी न्यायालय को श्रम न्यायालय के रूप में शामिल करने का प्रावधान करता है। स्पष्टीकरण शामिल करने के पीछे अंतनिर्हित उद्देश्य विभिन्न राज्य अधिनियमो द्वारा श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारियो की नियुक्ति के लिए निर्धारित अलग-अलग योग्यता प्रतीत होता है।

संसद ने उक्त स्पष्टीकरण को निरूपित करते हुए यह संज्ञान में लिया कि विभिन्न राज्य विधि तथा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत गठित विभिन्न श्रम न्यायालय है और यहां यह प्रश्न उठता है कि क्या किसी अधिनियम, केन्द्र या राज्य द्वारा पारित, द्वारा गठित श्रम न्यायालय धारा 33सी (2) के तहत किए गये दावे पर विचार कर सकता है।

13. एक स्पष्टीकरण सामान्यतया किसी धारा के अर्थ को समझाने के लिए जोडा जाता है। उपरोक्त स्पष्टीकरण के मद्देनजर श्रम न्यायालय मे किसी भी राज्य में लागू औद्योगिक विवादो की जांच और निपटान से संबंधित किसी भी कानून के तहत गठित कोई भी न्यायालय शामिल होगा। धारा 33सी (2) के तहत किसी कर्मचारी को देय धन का निर्णय श्रम न्यायालय, " जो इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए " द्वारा किया जाना है। इसलिए धारा 33सी (2) में अभिव्यक्त श्रम न्यायालय को एक विस्तारित

अर्थ दिया जाना चाहिए ताकि किसी भी राज्य में लागू औद्योगिक विवादो की जांच और निपटान से संबंधित किसी भी कानून के तहत गठित न्यायालय को इसमे शामिल किया जा सके। यह उपयुक्त सरकार की इच्छा को विस्तृत करता है और यह न केवल औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 7 के तहत गठित श्रम न्यायालयो को निर्दिष्ट करता है, बल्कि किसी भी राज्य मे लागू औद्योगिक विवादो की जांच और निपटान से संबंधित किसी अन्य कानून के तहत गठित ऐसे अन्य न्यायालयो को भी निर्दिष्ट कर सकता है।

14. लेकिन इससे विवाद खत्म नहीं होता है कि धन के दावे पर विनिर्णय की शक्ति श्रम न्यायालय को प्राप्त है, "जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में विर्निदिष्ट किया जा सकता है।" विधायिका द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है इसलिए उसके द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक शब्द को अर्थ देने का प्रयास करना होता है। किसी काननू में शब्दो को दरकिनार कर अभिप्राय निकालना अभिप्राय निकालने का अच्छा सिद्धान्त नही है। यदि भाषा पर उचित रूप से अनुमति नही दी जाती है तो न्यायालय ऐसे अभिप्राय से बचता है, जो कानून की किसी अभिव्यक्ति या भाग को किसी भी अर्थ या अनुप्रयोग से रहित बनाता है।

विधायिका कभी भी अपने शब्दो को अस्वीकार करने वाले अभिप्राय की मदद, बाध्यकारी कारणो को छोडकर नहीं लिया जा सकता है। ऐसा कोई

कारण, जो बाध्यकारी कारण से बहुत कम हो, जो अभिप्राय को अपनाने के लिए, जो अधिनियम की धारा 33 ग (2) में प्रयुक्त शब्द "जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है।"को निरर्थक बना देता है, मौजूद नही है।

इन शब्दो को पूर्ण अर्थ देना होगा। ये शब्द बिना किसी अनिश्चित शर्तो के यह संकेत देते है कि उपयुक्त सरकार द्वारा यह निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि एक विशेष अदालत के पास अधिनियम की धारा 33सी (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत धन दावे के निर्णय का क्षेत्राधिकार है और केवल उस अदालत के पास ही क्षेत्राधिकार होगा। उपयुक्त सरकार अपने विवेक से सामान्य या विशेष आदेश द्वारा न्यायालय या न्यायालयो को निर्दिष्ट कर सकती है। वर्तमान मामले में यह प्रदर्शित करने के लिए कुछ नही है कि श्रम न्यायालय डिब्रूगढ को अधिनियम की धारा 33सी (2) के तहत विवादो के निपटारे के लिए उपयुक्त सरकार, यानि केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो। हमारी राय में उक्त प्रश्न का उत्तर त्रियोगी नाथ सुपरा में इस न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है। यह सच है कि इस निर्णय को पारित करते हुए, इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 33 सी से जुडे स्पष्टीकरण पर विचार नही किया, क्योकि यह मामला संशोधन से पहले की अवधि से संबंधित था, लेकिन हमने उपर जो कहा है, उसे ध्यान में रखते हुए, न्यायालयो से संबंधित विकल्पो के विस्तार को छोडकर, स्पष्टीकरण

उपर्युक्त सरकार द्वारा न्यायालय को विशेष योग्यता के बारे में कुछ नही कहता

15. उक्त मत के पश्चात अगला प्रश्न जो निर्धारण के लिए यह आता है कि क्या श्रम न्यायालय डिब्रूगढ औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 10ए के तहत आवेदन पर विचार कर सकता था।

"10-A. निर्वाह भत्ते का भुगतान :- जहां किसी कामगार को उसके खिलाफ शिकायतों या कदाचार के आरोपों की जांच या जांच लंबित रहने तक नियोक्ता द्वारा निलंबित कर दिया जाता हैए तो नियोक्ता ऐसे कर्मकार को निर्वाह भत्ते का भुगतान करेगा..

(a) पचास फीसदी की दर से उस वेतन का जो कामगार ऐसे निलंबन की तारीख से ठीक पहले निलंबन के पहले नब्बे दिनों के लिए पाने का हकदार था और

(b) पचहत्तर प्रतिशत की दर से यदि ऐसे कामगार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी करने में देरी सीधे तौर पर ऐसे कामगार के आचरण के लिए जिम्मेदार नहीं है तो निलंबन की शेष अवधि के लिए ऐसे वेतन का भुगतान किया जाएगा।

(2) यदि उप.धारा (1) के तहत किसी श्रमिक को देय निर्वाह भत्ते के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो श्रमिक या संबंधित नियोक्ता

विवाद को औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) के तहत गठित श्रम न्यायालय को संदर्भित कर सकता है। जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर वह औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थित है जिसमें ऐसा श्रमिक कार्यरत है और जिस श्रम न्यायालय को विवाद भेजा गया है वह पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद विवाद का फैसला करेगा और ऐसा निर्णय अंतिम होगा। और पार्टियों पर बाध्यकारी है।

(3) इस धारा के पूर्वगामी प्रावधानों में निहित किसी भी बात के बावजूद जहां किसी भी राज्य में किसी अन्य कानून के तहत निर्वाह भत्ते के भुगतान से संबंधित प्रावधान इस धारा के प्रावधानों से अधिक फायदेमंद हैं ऐसे अन्य प्रावधान उस राज्य में निर्वाह भत्ते के भुगतान पर कानून लागू होगा।,

16. औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 की धारा 10 ए (2) के सामान्य पठन से स्पष्ट है कि श्रम न्यायालय का गठन औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत उस स्थानीय सीमा के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत किया जाता है, जिसके पास निर्वाह भत्ते से संबंधित किसी भी विवाद के विनिर्णयन करने का क्षेत्राधिकार हो। वर्तमान मामले में विवाद निर्वाह भत्ते के सम्बन्ध में है। यहां श्रम न्यायालय, जहां श्रमिक द्वारा कार्यवाही की गई है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 7 द्वारा गठित है और इसके अलावा अपीलकर्ता बैंक उसके क्षेत्राधिकार

की स्थानीय सीमा के भीतर स्थित है। हालाकि श्रमिक ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 के तहत आवेदन दायर करने का विकल्प चुना था, लेकिन अन्यथा कही क्षेत्राधिकार होने पर श्रम न्यायालय को क्षेत्राधिकार का खण्डन नही करेगा।

आवेदन पर गलत लेबल और गलत प्रावधान का उल्लेख न तो क्षेत्राधिकार प्रदान करता है और न ही क्षेत्राधिकार का खण्डन करता है। चाही गई राहत यदि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र मे आती है तो उसे उसके गलत लेबल या प्रावधान के गलत उल्लेख के आधार पर खारिज नही किया जा सकता है। वर्तमान मामले में श्रम न्यायालय डिब्रूगढ, उसके समक्ष कर्मचारी द्वारा रखे विवाद को तय करने के लिए सभी आवश्यकताओ का पूरा करता है।

17. चूंकि मामला लम्बे समय से श्रम न्यायालय के समक्ष लम्बित है इसलिए वह आज से 6 माह के भीतर विवाद का अन्तिम रूप से निपटारे का प्रयास करेगा। अपीलकर्ता और प्रतिवादी को आज से चार सप्ताह के भीतर श्रम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है।

18. परिमाणस्वरूप दोनो अपील 25,000/-की निर्धारित कास्ट के साथ खारिज की जाती है, जो जो अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को भुगतान की जायेगी।

डी.जी.

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुश्री ज्योति भट्ट (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्य के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।